उत्तर प्रदेश सरकार
सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–1
संख्या 132/चौवालिस1-80-23/79
लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 1980

सचिवालय के समस्त अनुभाग

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की दिनांक 18 अक्टूबर, 1979 की बैठक में एक निर्णय यह भी लिया गया है कि "कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अनुच्छेद 6 (17--- के अन्तर्गत उल्लिखित सभी कम्पनियों की स्थापना के प्रस्ताव सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो तथा पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे चाहे वह स्वतंत्र निगम हों या सहायक कम्पनी हों। पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड में प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तावों के सम्बन्ध में सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो का परामर्श प्रस्तुत किया जायेगा। केवल वित्तीय निगमों तथा निजी क्षेत्र के उद्योगों के प्रस्ताव जिनमें प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के निगमों का विनियोजन 50 लाख रुपये से कम हो, उनके बारे में पी० आई० बी० का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

2- कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं इस विषय सम्बन्धी सभी प्रस्ताव महानिदेशक सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–2 जवाहर भवन को संदर्भित करें।

भक्ति देव मुकर्जी,
उप सचिव।

संख्या 132 (1) चौवालिस-1-80-23/79-तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन, संस्थान, उ० प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
[भक्ति देव मुकर्जी]
उप सचिव।